भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 427
दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

महिला-पुरुष अंतर संबंधी वैश्विक रिपोर्ट

*** 427 श्री आर. के. सिंह पटेल:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को महिला-पुरुष अंतर संबंधी वैश्विक रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा देश में महिला-पुरुष अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) सरकार द्वारा भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने तथा उनकी आर्थिक-राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

'महिला-पुरुष अंतर संबंधी वैश्विक रिपोर्ट' विषय पर श्री आर. के. सिंह पटेल द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 427 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) : जी, हां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जेंडर अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार 0.625 (1 में से) के स्कोर के साथ भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर है। जेंडर अंतराल रिपोर्ट वैश्विक जेंडर अंतराल सूचकांक (जीजीजीआई) पर स्कोर प्रदान करती है, जो 4 आयामों अर्थात आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और आर्थिक सशक्तीकरण में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर की जांच करता है। वैश्विक जेंडर अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने आर्थिक भागीदारी एवं अवसर में 0.326, शैक्षिक उपलब्धि में 0.962, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में 0.937 और राजनीतिक सशक्तीकरण में 0.276 अंक प्राप्त किए हैं।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को कम करने, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने, उनका सामाजिक-आर्थिक दर्जा बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी के माध्यम से भारत में लैंगिक अंतराल को पाटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्वास्थ्य, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के सभी पहलुओं में लैंगिक अंतराल को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं :

स्वास्थ्य और पोषण

- सरकार ने स्वास्थ्य, आरोग्यता और बीमारी एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के विकास पर बल देते हुए पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए मिशन पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी को मंजूरी प्रदान की है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है।
- प्रजनन, मातृत्व, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य + पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) का कार्यान्वयन।
- आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य और आरोग्यता केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन सहित व्यापक प्राथमिक देखरेख की शुरुआत।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में बच्चे को जन्म देने वाली गर्भवती महिलाओं तथा उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने वाले बीमार शिशुओं के लिए अपनी जेब से खर्च को समाप्त करने के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)।
- संस्था में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)।
- सेवाओं की मनाही के लिए जीरो टोलरेंस और मुफ्त में आश्वस्त, गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)।
- प्रत्येक माह के 9वें दिन गर्भवती महिलाओं को व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण एएनसी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)।
- प्रसव कक्ष तथा मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में देखरेख की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्ष्य पहल।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुफ्त में एलपीजी सिलिंडर प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाती है तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा करती है।

आर्थिक भागीदारी

- बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना बेटियों के संरक्षण, उत्तरजीविता और शिक्षा का सुनिश्चय करती है।
- कामकाजी महिला हॉस्टल योजना कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा और संरक्षा का सुनिश्चय करती है।
- राष्ट्रीय शिशु गृह योजना बच्चों को सुरक्षित, निरापद और प्रेरक परिवेश प्रदान करके यह सुनिश्चित करती है कि महिलाएं लाभप्रद रोजगार ग्रहण करें।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य महिलाओं के नाम में भी आवास प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य बेहतर आजीविका प्राप्त करने के लिए उद्योग से संगत प्रशिक्षण लेने के लिए महिलाओं सहित भारी संख्या में भारतीय युवाओं को सक्षम बनाना है।

- दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कौशल विकास में महिलाओं के लिए अवसर पैदा करने पर केंद्रित है ताकि वे बाजार आधारित रोजगार प्राप्त कर सके।
- सुकन्या समृद्धि योजना – इस योजना के तहत बैंक खाते खोलकर लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।
- कौशल उनयन्न और महिला क्वायर योजना एमएसएमई का एक अनन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्वायर उद्योग से जुड़े महिला कारीगरों का कौशल विकास करना है।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कृषि से भिन्न क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म/लघु व्यवसाय को संस्थानिक वित्त तक पहुंच प्रदान करती है।

राजनीतिक भागीदारी

- बुनियादी स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं को शामिल करने के लिए सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। शासन की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने में महिलाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों सहित पंचायत हितधारकों के क्षमता निर्माण का आयोजन किया जाता है।

****